



281

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : ३४० / ०५ / ७६ / एक / २०१५—१६  
सेवा में,

०५/५/१५

दिनांक : —अप्रैल २०१५

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद—बलिया।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सितियों तथा मलिन वर्सितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५—१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सितियों तथा मलिन वर्सितियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या—३७ / ८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है—

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	353802010021714	IFSC Code UBIN0535389	41.821 ✓
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किशा की धनराशि का प्रेषण
1	बलिया	मलिन वस्ती—८३ बजट	आदर्श न०प० बांगडीड	वार्ड न० २ में श्रीराम हरिजन के घर से गफार मियॉं के घर तक जय प्रकाश भारत के घर से कमरान खान के घर तक वार्ड न० १ में डाकुर हरिजन के मकान से बब्न गोड़ के मकान तक, कामता के मकान से विजाघर गोड़ के मकान तक वार्ड न० २ में अनवार आलम के घर से आइडिया के टावर तक विजयी राम के मकान से रामायन हरिजन के मकान तक वार्ड न० १ में बेचू पासवान के मकान से राजेश राम के मकान तक बेचू पासवान के मकान से राजेश राम के मकान तक वृज विहारी के मकान से मडिया तक कमता सिंह के घर से धर्मेन्द्र गोड़ के घर तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक का निर्माण कार्य।	17.600
2	बलिया	मलिन वस्ती—८३ बजट	न०पा०प० बलिया	अवधेश सिंह के घर से कमला खॉ के घर तक, श्री राम सिंह के घर से केदार घोबी के घर तक, राजपुत नेवरी में मस्जिद के कोने से राधेश्याम के घर के सामने तक, नरेश राम के घर से महमूदमियॉं के घर तक, गुप्तेश्वर वर्मा के मकान से गुलाब कानू के घर तक, काशीपुर श्रीघर यादव के घर से धूरबिंगन के घर तक, प्रमोद लाल के स्कूल से कोइला बाबा के स्थान होते हुए मिश्रा जी के घर तक, हल्कू मिलॉं के घर से पाण्डेय जी के मकान तक, घनू के मकान से गणेश चौधे के मकान तक सेनेटरी गली का निर्माण कार्य, इन्द्रा मार्केट में दुकान न०१ के पास से सुभाष गोड़ कमलाकान्त के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.607
3	बलिया	मलिन वस्ती—८३ बजट	न०पा०प० बलिया	पानी टंकी चौराहे से चुनमुन राम निकट चन्द्रा सिंहा आवास होते हुए, अश्वनी राम तक इंटरलाकिंग पेवर्स ब्लाक व नाली निर्माण कार्य।	1.614
	योग				41.821 ✓

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सितियों तथा मलिन वर्सितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

१— उ०प्र० ३० रारकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सितियों तथा मलिन वर्सितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली/निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत



28/2

दूरभाष— 2286709  
2286710

नव वैतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल प्रभावित मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों में सम्मिलित हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि छूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुगम्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लला प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक(लला प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।